संख्या-34/2017/1570/22-2-2016-17(02)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौबत पुत्र श्री मेवाराम, निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34840/प्रोबे-3/(एम-12-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौबत पुत्र श्री मेवाराम, निवासी सैनपुर, थाना-दातागंज, जनपद-बदायूं का रहने वाला है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11/12.06.1978 की रात्रि में डकैती डालने के दौरान बन्दूक, तमन्चा व लाठी से मारकर 19 वर्षीय सुरेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-536, 537/1978 एवं 109/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-बरेली द्वारा दिनांक 22-06-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 21 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ डकैती डालने के दौरान बन्दूक, तमन्चा व लाठी से मारकर 19 वर्षीय व्यक्ति की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियो की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नौबत पुत्र श्री मेवाराम, निवासी जनपद-बदायूं को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नौबत (बन्दी संख्या-35096) पुत्र श्री मेवाराम निवासी जनपद-बदायूं के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2017/1570(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-34/2017/1570/22-2-2016-17(02)/2014

दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौबत पुत्र श्री मेवाराम, निवासी सैनपुर, थाना-दातागंज, जनपद-बदायूं का रहने वाला है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11/12.06.1978 की रात्रि में डकैती डालने के दौरान बन्दूक, तमन्चा व लाठी से मारकर 19 वर्षीय सुरेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-536, 537/1978 एवं 109/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-बरेली द्वारा दिनांक 22-06-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 21 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ डकैती डालने के दौरान बन्दूक, तमन्चा व लाठी से मारकर 19 वर्षीय व्यक्ति की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियो की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नौबत पुत्र श्री मेवाराम, निवासी जनपद-बदायूं को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।